न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी– रक्षा पारीक, आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या – 2021 / 185 (प्रा०प०)
दायर दिनांक – 14 / 07 / 2021
निर्णय दिनांक – 03 / 04 / 2025

अनवान

1. मोहन पिता नाथा भील निवासी धर्मतलाई तह0 नाथद्वारा जिला राजसमन्द
2. दौला पिता नाथा भील निवासी धर्मतलाई तह0 नाथद्वारा जिला राजसमन्द
3. भगा पिता स्व.हमेरा भील निवासी धर्मतलाई तह0 नाथद्वारा जिला राजसमन्द
4. किशनलाल दत्तक पुत्र चुना भील निवासी धर्मतलाई तह0 नाथद्वारा जिला राजसमन्द

प्रार्थीगण

बनाम

1. कना पिता केशा भील निवासी धर्मतलाई तह0 नाथद्वारा जिला राजसमन्द
2. हगामी पिता केशा भील निवासी धर्मतलाई तह0 नाथद्वारा जिला राजसमन्द
3. तुलसी पिता केशा भील निवासी धर्मतलाई तह0 नाथद्वारा जिला राजसमन्द
4. गणेश दत्तक पुत्र हीरा भील निवासी धर्मतलाई तह0 नाथद्वारा जिला राजसमन्द
5. उदा पिता गुमाना भील निवासी धर्मतलाई तह0 नाथद्वारा जिला राजसमन्द
6. नानीया पिता गुमाना भील निवासी धर्मतलाई तह0 नाथद्वारा जिला राजसमन्द
7. गणेश पिता गुमाना भील निवासी धर्मतलाई तह0 नाथद्वारा जिला राजसमन्द
8. गुमानलाल पिता स्व. मोती भील निवासी धर्मतलाई तह0 नाथद्वारा जिला राजसमन्द
9. हीराबाई पत्नि स्व. मोती भील निवासी धर्मतलाई तह0 नाथद्वारा जिला राजसमन्द
10. पप्पु पिता स्व. पोखर भील निवासी धर्मतलाई तह0 नाथद्वारा जिला राजसमन्द
11. दुरगेश पिता स्व. पोखर भील निवासी धर्मतलाई तह0 नाथद्वारा जिला राजसमन्द
12. भीमा पिता केशा भील निवासी धर्मतलाई तह0 नाथद्वारा जिला राजसमन्द
13. भगा पिता कना भील निवासी धर्मतलाई तह0 नाथद्वारा जिला राजसमन्द
14. मांगीलाल पिता कना भील निवासी धर्मतलाई तह0 नाथद्वारा जिला राजसमन्द
15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार नाथद्वारा, जिला राजसमन्द

विपक्षीगण

उपस्थित –
प्रार्थीगण की ओर से – श्री गणपत कोठारी, अधिवक्ता
विपक्षीगण की ओर से – पेरोकार सरकार

दिनांक – 03 / 04 / 2025

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) नाथद्वारा, जिला राजसमन्द

उपखण्ड अधिकारी
नाथद्वारा (राजसमन्द)

प्रार्थना पत्र धारा 251 ए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, 1955

: : निर्णय : :

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र धारा 251 ए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, 1955 के प्रस्तुत किया गया कि राजस्व ग्राम धर्मतलाई पटवार क्षैत्र कियावास, तहसील नाथद्वारा में प्रार्थीगण की आराजी संख्या 705, 707, 708, 1028/707, 726, 727, 706 कुल किता–07 कुल रकबा 01–11–10 बीघा भूमि स्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त आराजियात की कृषि भूमि में जाने हेतु एकमात्र रास्ता विपक्षीगण की आराजी संख्या 735 के पूर्व दिशा की कोने से होते हुए कुए के जो आराजी संख्या 736 है वहां तक पूर्वी दिशा में रास्ता जाता है तथा उसके आगे विपक्षीगण की आराजी संख्या 733 तथा 737 स्थित है, जहाँ पर आराजी संख्या 733 के पश्चिमी दिशा में तथा आराजी संख्या 737 के पूर्वी दिशा में रास्ता स्थित है, तथा उसके आगे विपक्षी की आराजी संख्या 732 एवं 738 स्थित है, उक्त आराजी संख्या 732 के पश्चिमी दिशा में आराजी संख्या 738 के पूर्वी दिशा से होते हुए विपक्षी की आराजी संख्या 935/731 एवं विपक्षी की आराजी संख्या 704, आराजियात स्थित है, जिसमें विपक्षी की आराजी संख्या 935/731 के पश्चिमी दिशा में एवं आराजी संख्या 704 के पूर्वी दिशा में रास्ता होते हुए आराजी संख्या 1035/705, जो रास्ता विद्यमान है वहां से होते हुए प्रार्थीगण की कृषि आराजी संख्या 705, 706, 707, 731 में जाया जाता है, तथा उक्त भूमि विपक्षीगण की है तथा अन्य कोई रास्ता विद्यमान नही है एवं कृषि जोत के सुविधाजनक उपयोग के लिये वर्तमान में किसी भी प्रकार का रास्ता वर्तमान में मौजूद नही है तथा विपक्षी की भूमि में से होकर ही जाने का एकमात्र रास्ता हेतु भूमि उपलब्ध है एवं जिस कारण प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजियात में कृषि कार्य करने हेतु असमर्थ है कृषि कार्य हेतु हकाई बुवाई इत्यादि समस्त कार्य हेतु ट्रेक्टर, बेलगाडी इत्यादि भी आने जाने में असमर्थ है। इस हेतु प्रार्थीगण नियमानुसार नये मार्ग खोलने के लिये प्रतिकर की राशि जमा कराने हेतु तत्पर एवं तैयार है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण की कृषि भूमियां जो प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित है, उन कृषि भूमियों में आने–जाने हेतु रास्ता विपक्षी की आराजी संख्या 732, 733, 735, 736, 737, 738, 935/731 एवं आराजी संख्या 704, आराजी संख्या 935/731, 704 की तरफ 15 फिट चौडा रास्ता प्रार्थीगण की कृषि भूमि तक आने–जाने हेतु एवं कृषि कार्य करने हेतु नया मार्ग खोले जाने का आदेश प्रदान करावें एवं राजस्व ट्रेस में दर्ज कराने का आदेश प्रदान करावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण का जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी संख्या 01 से लगायत 14 व अधिवक्ता बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में इनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। विपक्षी संख्या 15 तहसीलदार नाथद्वारा ने

उपखण्ड अधिकारी
नाथद्वारा (राजसमन्द)

अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम धर्मतलाई खसरा संख्या 705 व 1035/705 में जाने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि में जाने हेतु प्रस्तावित रास्ता न्यूनतम दुरी वाला है। प्रार्थी खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि जाने हेतु प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य न्यूनतम दुरी वाला रास्ता उपलब्ध नही है। प्रस्तावित रास्ते की चौडाई 1.5 फिट है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1035/705 में जाने हेतु आराजी संख्या 735 में से रकबा 0.0045 हैक्टेयर, आराजी संख्या 736 में से 0. 0086 हैक्टेयर, आराजी संख्या 734 में से 0.0091 हैक्टेयर, आराजी संख्या 733 में से 0.0029 हैक्टेयर, आराजी संख्या 732 में से 0.0050 हैक्टेयर, आराजी संख्या 935/731 में से 0.0050 हैक्टेयर, आराजी संख्या 737 में से 0.0009 हैक्टेयर तथा आराजी संख्या 738 में से 0.0091 हैक्टेयर रास्ता दर्ज करने हेतु प्रस्तावित किया गया है।

प्रार्थी अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए रास्ता प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर चिन्तन व मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आवलोकन किया गया तो जाहिर आया है कि तहसीलदार विपक्षी संख्या 15 की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम धर्मतलाई खसरा संख्या 705 व 1035/705 में जाने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि में जाने हेतु प्रस्तावित रास्ता न्यूनतम दुरी वाला है। प्रार्थी खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि जाने हेतु प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य न्यूनतम दुरी वाला रास्ता उपलब्ध नही है। प्रस्तावित रास्ते की चौडाई 1.5 फिट है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1035/705 में जाने हेतु आराजी संख्या 735 में से रकबा 0.0045 हैक्टेयर, आराजी संख्या 736 में से 0.0086 हैक्टेयर, आराजी संख्या 734 में से 0.0091 हैक्टेयर, आराजी संख्या 733 में से 0.0029 हैक्टेयर, आराजी संख्या 732 में से 0.0050 हैक्टेयर, आराजी संख्या 935/731 में से 0.0050 हैक्टेयर, आराजी संख्या 737 में से 0.0009 हैक्टेयर तथा आराजी संख्या 738 में से 0.0091 हैक्टेयर तहसीलदार नाथद्वारा द्वारा रास्ता दर्ज करने हेतु प्रस्तावित किया गया है।

– : आदेश : –

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम धर्मतलाई पटवार क्षैत्र कियावास, तहसील नाथद्वारा में प्रार्थीगण की आराजी संख्या 705 व 1035/705 में आने–जाने, ट्रेक्टर, ट्रोली, बैल, बैलगाडी लाने ले जाने हेतु तहसीलदार नाथद्वारा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार

उपखण्ड अधिकारी
नाथद्वारा (राजसमन्द)

प्रस्तावित रास्ता जिसकी चौडाई 1.5 फिट व सम्पूर्ण लम्बाई भूमि होकर विपक्षीगण की आराजी संख्या 735 में से रकबा 0.0045 हैक्टेयर, आराजी संख्या 736 में से 0.0086 हैक्टेयर, आराजी संख्या 734 में से 0.0091 हैक्टेयर, आराजी संख्या 733 में से 0.0029 हैक्टेयर, आराजी संख्या 732 में से 0.0050 हैक्टेयर, आराजी संख्या 935/731 में से 0.0050 हैक्टेयर, आराजी संख्या 737 में से 0.0009 हैक्टेयर तथा आराजी संख्या 738 में से 0.0091 हैक्टेयर भूमि को राजस्व रिकार्ड में किस्म रास्ता के रूप में अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं उक्त रास्ता उपयोग सार्वजनिक होगा। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में ईन्द्राज किया जावें। तहसीलदार नाथद्वारा को निर्देशित किया जाता है कि वे रास्ता हेतु प्रस्तावित रकबा भूमि की वर्तमान डी.एल.सी. दर से गणना कर नियमानुसार दुगुनी राशि प्रार्थीगण से वसूल की जाकर विपक्षीगण को नियमानुसार अदा की जावें। पालनार्थ तहसीलदार नाथद्वारा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 03/04/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर न्यायालय की मोहर से सरे ईजलास सुनाया गया।

(रक्षा पारीक)
उपखण्ड अधिकारी
नाथद्वारा (राजसमन्द)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) नाथद्वारा, जिला- राजसमन्द